GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF EMPOWRERMENT OF PERSONS WITH DISABILTIE (DIVYANGJAN)
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO. *101
TO BE ANSWERED ON 28.07.2021

Child care allowance to Divyang women

101# Shri Neeraj Dangi:

Will the Minister of **Social Justice and Empowerment** be pleased to state:

(a) whether Government pays the child care allowance to Divyang women;

(b) if so, the amount of such allowance along with the increase made in the allowance during the last three years;

(c) the State-wise and year-wise details of funds allocated during the last three years, including district-wise details with respect to Rajasthan; and

(d) the quantum of consequential financial burden likely to occur upon Government exchequer?

ANSWER

MINISTER OF SOCIAL JUSTICETHE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SUSHRI PRATIMA BHOUMIK): AND EMPOWERMENT

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in reply to part (a) to (d) of the Rajya Sabha Starred Question No. 101 raised by SHRI NEERAJ DANGI regarding "Child care allowance to Divyang women" for answer on 28.07.2021.

(a) & (b) This Ministry does not implement any scheme for providing child care allowance to divyang women. However, Department of Personnel & Training (DoPT) has informed that divyang women (having disability of 40% or more) working in the Central Government are paid child care allowance @ Rs. 3000/- per month. Consequent upon implementation of the recommendations of the 7th Central Pay Commission, the rate of child care allowance for divyang women employees has been increased from Rs.1500/- per month to Rs.3000/- per month with effect from 1st July, 2017. This allowance is payable from the time of the child's birth till the child is two years old. The above mentioned allowance would automatically increase by 25% every time the Dearness Allowance on the revised pay structure goes up by 50%. This allowance is payable for a maximum for two eldest surviving children. It is applicable to divyang women employees working in Central Government irrespective of their place of posting, including in Rajasthan.

(c) & (d) Do not arise in view of above.

******

भारत सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *101

दिनांक 28.07.2021 को उत्तरार्थ

दिव्यांग महिलाओं को शिशु देखभाल भत्ता दिया जाना

101# श्री नीरज डांगी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिव्यांग महिलाओं को शिशु देखभाल भत्ते का भुगतान करती है ;

(ख) यदि हां, तो इस भत्ते के अन्तर्गत कितनी राशि का भुगतान किया जाता है, इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई और विगत तीन वर्षों के दौरान इस भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की गई ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का राजस्थान के जिलावार ब्यौरे सहित राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार के राजकोष पर कितना वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मत्रालय
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"दिव्यांग महिलाओं को शिशु देखभाल भत्ता दिए जाने" के संबंध में दिनांक 28.07.2021 को उत्तरार्थ श्री नीरज डांगी द्वारा उठाए गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 101 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संदर्भ में विवरण

(क) और (ख) यह मंत्रालय दिव्यांग महिलाओं को शिशु देखभाल भत्ता प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू नहीं करता है। हालांकि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूचित किया है कि केंद्र सरकार में कार्यरत दिव्यांग महिलाओं (जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है) को 3000/- रुपये प्रतिमाह शिशु देखभाल भत्ता दिया जाता है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप, दिव्यांग महिला कर्मचारियों के लिए शिशु देखभाल भत्ते की दर को दिनांक 1 जुलाई, 2017 से 1500/- रुपये से बढ़ाकर 3000/- रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यह भत्ता बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे की उम्र दो साल होने तक देय है। संशोधित वेतन ढांचे(पे स्ट्रक्चर) पर महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर उपर्युक्त भत्ते में हर बार 25% की वृद्धि स्वतः ही हो जाती है। यह भत्ता अधिकतम दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए देय है। यह केंद्र सरकार में राजस्थान सहित भारत के किसी भी स्थान पर कार्य कर रहीं दिव्यांग महिलाओं के लिए लागू है।

(ग) और (घ): उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

*****